3
अध्याय

नीतिगत पहलें और सुधारात्मक उपाय

नीतिगत पहलें और सुधारात्मक उपाय

1. कोयला क्षेत्र में उत्पादन और दक्षता बढ़ाने से संबंधित उपाय: वर्धित अन्वेषण प्रयास

सीएमपीडीआई गैर–सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग की योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। सीएमपीडीआई विभागीय संसाधनों, एमईसीएल और निविदा के माध्यम से कार्य निष्पादित करता है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान गैर–सीआईएल/ कैप्टिव खनन ब्लॉकों में वास्तविक ड्रिलिंग की तुलना में लक्ष्य और चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

(लाख मीटर में ड्रिलिंग)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक	पिछले वर्ष के संदर्भ में वृद्धि%
2017-18	4.99	4.86	57.79
2018-19	5.93	4.84	-0.41
2019-20	8.16	6.96	43.80
2020-21	5.16	6.45	-7.32
2021-22	1.90	4.28	-33.64
2022-23	1.35	0.73 (अप्रैल 22–दिसं 22)	

नोटः 2022–23 के लिए आंकड़ा अनंतिम है।

अप्रैल, 22 से दिसंबर, 22 की अवधि के दौरान कमी मुख्य रूप से ब.अ. 2022–23 में सीएसएस निधि में कमी और अक्टूबर, 22 तक योजना को बंद करने के कारण है। आवंटित ब्लॉकों में ही अन्वेषण की योजना बनाई गई थी और बाकी ब्लॉकों में ड्रिलिंग बंद थी, इसलिए ड्रिलिंग उपलब्धि प्रभावित हुई थी। अक्टूबर, 22 के दौरान, कोयला मंत्रालय से सूचना प्राप्त हुई कि सीएसएस योजना को जारी रखा जाना था और सं.अ. 2022–23 में बढ़ाया गया बजट कोयला मंत्रालय द्वारा कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्तावित किया गया था। प्रतिकूल कानून और व्यवस्था की स्थिति और ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ ब्लॉकों में लंबित वन मंजूरियों ने भी ड्रिलिंग प्रदर्शन को प्रभावित किया।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान सीआईएल ब्लॉकों में वास्तविक ड्रिलिंग और चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए लक्ष्य इस प्रकार हैं:

(लाख मीटर में ड्रिलिंग)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक	पिछले वर्ष के संदर्भ में वृद्धि%
2017-18	7.04	8.48	6.40
2018-19	7.13	8.34	-1.65
2019-20	6.30	5.80	-30.46
2020-21	4.95	5.45	-6.03
2021-22	4.35	3.98	-26.97
2022-23	4.19	2.16 (अप्रैल 22–दिसं 22)	

नोटः 2022–23 के लिए आंकड़े अनंतिम है।

2. कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीनीकृत नीति पर जोर

उत्पादन स्तर के उच्च ट्रेजेक्ट्री को 600 मिलियन टन (मि.ट.) के अपने पिछले स्तरों को बनाए रखने और देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ–साथ कोयले के गैर–आवश्यक आयात को समाप्त करने के लिए, सीआईएल ने समयबद्ध तरीके से 1 बिलियन टन (बि.ट.) कोयला उत्पादन करने की योजना बनाई है। सीआईएल ने प्रमुख संसाधनों की पहचान की है और अनुमानित उत्पादन प्राप्त करने के लिए उनके संबंधित मुद्दों का आकलन किया है। हालांकि, भविष्य में लक्ष्यों को पूरा करना वास्तविक मांग परिदृश्य पर निर्भर करेगा जो विकास के भविष्य के पाठ्यक्रम की शर्तों को निर्धारित कर सकता है।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने कोयला उत्पादन में 600 मिलियन टन (मि.ट.) का आंकड़ा सफलतापूर्वक पार कर लिया है। 2022–23 में, वार्षिक योजना लक्ष्य 700 मि.ट. आंका गया है और सीआईएल की संशोधित 1 बि.ट. की योजना के अनुसार 2022–23 के लिए अनुमान 760 मि.ट. है। 2022–23 की समूह–वार उत्पादन योजना और जनवरी, 22 से नवंबर, 22 तक वास्तविक उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है।

(आंकड़े मि.ट. में)

सीआईएल	2022-23	जनवरी, 22 से नवंबर, 22'	2023-24
	ब.अ. (एपी लक्ष्य)	वास्तविक (अनंतिम)	अनुमान
मौजूदा और पूर्ण	220.39	190.946	760
जारी परियोजनाएं	479.41	428.926	
भावी परियोजनाएं	0.20	0.00	
कुल	**700.00**	**619.872**	

**जनवरी, 22 से नवंबर, 22 तक की अवधि के लिए संचयी लक्ष्य 627.74 मि.ट. है*

सीसीएल में उत्तरी करनपुरा, एसईसीएल के कोरबा और एमसीएल में आईबी तथा तलचर कोलफील्ड से उत्पादन में एक बड़ी वृद्धि की परिकल्पना की गई है।

3. परियोजनाओं को पूरा करना और मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार:

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

2022 के दौरान, 13 खनन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और मार्च, 23 तक 3 परियोजनाएं मंजूर किए जाने की संभावना है और सीआईएल में 03 खनन परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है।

आज की तारीख के अनुसार 912.03 एमटीवाई की कुल स्वीकृत क्षमता और 133986 करोड़ रुपए की कुल स्वीकृत पूंजी के साथ 118 जारी कोयला परियोजनाएं (20 करोड़ रुपए और अधिक की लागत) कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन और पूरा होना महत्वपूर्ण बाहरी कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि भूमि का कब्जा, हरित मंजूरी, निकासी बुनियादी ढांचा आदि।

परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए सीआईएल द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं जो निम्नानुसार हैं:

क) झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में भूमि के कब्जे में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों के साथ लगातार अनुनय–विनय। इसके अलावा, भूमि मालिकों को लगातार मुआवजा स्वीकार करने और कंपनी द्वारा अधिग्रहित भूमि को सौंपने के लिए राजी किया जा रहा है।

ख) एफसी के अनुदान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार के साथ निरंतर समन्वय और संपर्क।

ग) लगातार कानून और व्यवस्था के मुद्दों को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करने हेतु सभी स्तरों पर कोयला कंपनियों द्वारा राज्य सरकारों को लगातार राजी किया गया है।

घ) सहायक कंपनी और सीआईएल स्तर पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। कोयला मंत्रालय 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक

की लागत वाली परियोजनाओं की मासिक आधार पर समीक्षा करता है।

ड.) परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) नियमित अंतराल पर उच्चतम स्तर पर राज्य सरकार के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाता है। कोयला मंत्रालय विशेष रूप से वानिकी मंजूरी और भूमि के भौतिक कब्जे की सुविधा के लिए अपनी ओर से अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकार के साथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले मुद्दों का अनुसरण करता है।

प्रभावी निगरानी और त्वरित तथा सूचित निर्णय लेने की सुविधा के लिए, पिछले साल सीआईएल द्वारा ईआरपी पोर्टल लॉन्च किया गया था, जो परियोजनाओं/ खानों के हर विवरण को सम्मिलित करता है, प्रदर्शन का विश्लेषण करता है और प्रासंगिक रिपोर्ट तैयार करता है।

इसके अलावा, प्रोजेक्ट सर्वर पर अपलोड किए गए मास्टर कंट्रोल नेटवर्क के माध्यम से परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी की जा रही है। बेहतर निगरानी के लिए इन एमसीएन पर आधारित रिपोर्ट पावर बीआई सॉफ्टवेयर पर विकसित डैशबोर्ड के माध्यम से तैयार की जा रही है।

परियोजनाओं की मानीटरिंग ईआरपी पोर्टल के पीएस मॉडयूल के माध्यम से की जाती है। कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, सीआईएल ने पहले ही नई परियोजनाएं और ओसी पैच शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा, मौजूदा खानों/परियोजनाओं का क्षमता विस्तार ईसी विस्तार के माध्यम से या जहां भी संभव हो, ईपीआर के माध्यम से किया जा रहा है।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड

आज की तारीख के अनुसार, 15 चालू कोयला परियोजनाएं हैं, जिनकी लागत 20 करोड़ रु. और उससे ऊपर हैं जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। राज्य स्तर पर और केंद्रीय मंत्रालय के साथ लंबित मुद्दों को हल करने के लिए चालू परियोजनाओं के विभिन्न माइलस्टोन की स्थिति की निगरानी के लिए एमडीएमएस पोर्टल (सीएमपीडीआई द्वारा विकसित) और ई–सीपीएमपी (ऑनलाइन कोयला परियोजना निगरानी पोर्टल) और ओसीएमएस पोर्टल (एमओएसपीआई) में अपलोड की जा रही है।

4. कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपाय

2022–23 के दौरान, सीआईएल ने परियोजनाओं के जारी समूह से 479.41 मि.ट. उत्पादन करने की परिकल्पना की है। वित्त वर्ष 19–20 के अंत के दौरान कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण और वैश्विक स्तर पर और साथ ही देश में गंभीर आर्थिक मंदी के कारण, देश में विकास ट्रेजेक्ट्री में तेजी से गिरावट आई और देश में कोयले की मांग में कमी देखी गई। जिसके परिणाम स्वरूप, सीआईएल में लगभग 100 मि.ट. का विशाल पिटहेड स्टॉक 2020–21 के अंत में जमा हो गया था, जिसमें इन्वेंट्री बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तथापि, 2021–22 के दौरान की बढी मांग के साथ, कोयले का ऑफटेक 661.89 मि.ट. की नई ऊचांई पर पहुंच गया, इस प्रकार पिटहैड स्टॉक कम हो गया। इसलिए मांग में हाल के उतार चढाव को देखते हुए, उत्पादन योजना को पुनः बनाया गया और तदनुसार, वर्ष 2022–23 के दौरान सीआईएल की उत्पादन योजना को 700 मि.ट. पर रखा गया।

सीआईएल के संबंध में, 101 खनन परियोजनाओं (ग्रीनफील्ड और विस्तार परियोजनाओं) से उत्पादन में बड़ी वृद्धि की परिकल्पना की गई है, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और मुख्य रूप से चार सहायक कंपनियों अर्थात् एसईसीएल, एमसीएल, एनसीएल और सीसीएल ने कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- जहां भी संभव हो, अत्याधुनिक मशीनीकरण का उपयोग करके उच्च क्षमता वाली खानों की योजना, अनुमोदन और कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- भू–खनन स्थितियों के आधार पर भूमिगत और खुली खानों दोनों में श्रमिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए खानों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।
- कार्यक्रम के अनुसार लक्षित उत्पादन प्राप्त करने के लिए चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाना।
- ईपी अधिनियम 2006 के तहत विशेष व्यवस्था के माध्यम से चल रही परियोजनाओं की क्षमता वृद्धि।
- संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकार के साथ परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों की प्रभावी निगरानी और अनुनय।

- भविष्य में उत्पादन और निकासी में नियोजित वृद्धि को बनाए रखने के लिए, सीआईएल ने एसईसीएल, एमसीएल और सीसीएल के कोयला क्षेत्रों में विकास के लिए भारतीय रेलवे के साथ जमा आधार (3) और जेवी (4) के माध्यम से 7 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं शुरू की हैं।
- कोयला मंत्रालय से प्रभावी और लगातार समर्थन।
- उत्पादन बढ़ाने के लिए सीआईएल की कुछ सहायक कंपनियों को अतिरिक्त कोयला ब्लॉकों का आवंटन।
- लगभग 170 मि.ट. की क्षमता वाली 15 ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की पहचान की गई है जिन्हें सह प्रचालक पद्धति द्वारा प्रचालित किया जाएगा।
- दो चरणों में 49 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है। इनमें से प्रथम चरण में 35 परियोजनाओं को वित्तीय वर्ष 2023–24 तक 414.5 मि. ट. क्षमता के साथ कार्यान्वित किया जाना है ।
- सीआईएल ने दो चरणों में संचालन के डिजिटलीकरण और ईआरपी की शुरूआत के साथ अपनी खानों की दक्षता बढ़ाकर उत्पादकता में सुधार के लिए पहल की है।

3.3 कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए एससीसीएल द्वारा किए जा रहे उपायः

वर्तमान में, एससीसीएल तेलंगाना राज्य में 42 खानों (24–भूमिगत और 18–ओपनकास्ट) का संचालन कर रही है। ओडिशा राज्य में एससीसीएल को आवंटित नैनी कोयला खान के वित्त वर्ष 2022–23 में शुरू होने की उम्मीद है। एससीसीएल ने 2023–24 के अंत तक उत्पादन को 80 मिलियन टन तक बढ़ाने की परिकल्पना की है। उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- 11 नई खानें खोलने की योजना (जीवीसीएफ में 10 और तलचर में 1)।
- कोयला निकासी अवसंरचना सुविधा में सुधारः एससीसीएल अपने सीएचपी को संशोधित कर रहा है, नए सीएचपी, क्रशर का निर्माण कर रहा है।
- कोयले की निकासी के लिए रेलवे साइडिंग का निर्माण और नई रेलवे लाइनें बिछाना।
- कोयले के प्रेषण स्थल तक कम दूरी के परिवहन के लिए सड़कों का विकास।

3.4 कोयले का उत्पादन बढाने के लिए एनएलसीआईएल द्वारा किए गए उपाय

एनएलसी इंडिया ने वर्ष 2021–22 के दौरान 4 एमटीपीए के अपने मूल कार्यक्रम से तालाबीरा II और III ओसीपी से 6 एमटीपीए के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम उठाए हैं। कोयले की उच्च मांग को ध्यान में रखते हुए, एनएलसी इंडिया लिमिटेड तालाबीरा खान के कोयला उत्पादन को और बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके अलावा, तालीबारा II और III ओसीपी कोयला मंत्रालय की सलाह पर 8.00 मि. ट. से 13 मि.ट. (अनुमोदित खान योजना के अनुसार) के श्रेष्ठ प्रयास के आधार पर वित्त वर्ष 2022–23 में कोयले का उत्पादन बढा रहे है। उपरोक्त प्रयास न केवल अंतिम उपयोग संयंत्रों को ईंधन सुरक्षा प्रदान करेंगे बल्कि बाजार में कोयला भी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही कोयले की पहुंच कीमत को कम करने के लिए एनएलसी इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी लिमिटेड के बीच कोयले के हस्तांतरण की व्यवस्था के प्रयास किए जा रहे हैं।

5. सीआईएल में प्रौद्योगिकी विकास और खानों का आधुनिकीकरण

भूमिगत खानों का मशीनीकरणः

राष्ट्र का विजन 2047, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है, ने भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला है। अभ्यास से जो विकसित हुआ वह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि कोयला राष्ट्र की ऊर्जा आपूर्ति मिश्रण में प्रमुख बना हुआ है। इसके अलावा, पर्यावरण के अनुकूल तरीकों से अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त की जानी चाहिए जिसमें पर्यावरण के अनुकूल खनन के तरीके शामिल हैं जिससे भूमिगत खानों के महत्व और प्रासंगिकता में काफी वृद्धि हुई है।

इसलिए, सीआईएल एक यूजी विजन योजना तैयार कर रही है जो अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और इसके अनुसार, सीआईएल ने वर्ष 2027–28 के अंत तक 100 मिलियन टन

उत्पादन की परिकल्पना की है। बड़े पैमाने पर कंटीन्यूअस माइनर (सीएम) शुरू करने के साथ–साथ बड़ी संख्या में हाईवॉल खानों को लागू करके यूजी बंद/चालू ओसी खानों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यूजी उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। यूजी उत्पादन बढ़ाने का एक और तरीका राजस्व साझाकरण मॉडल द्वारा एमडीओ के माध्यम से परित्यक्त/बंद खानों को फिर से खोलकर लिया गया है। वर्तमान में, लगभग 9.21 एमटीवाई की कुल क्षमता के साथ सीआईएल की 14 यूजी खानों में 21 कंटीन्यूअस माइनर्स (सीएम) तैनात किए गए हैं। उक्त यूजी विजन प्लान के अनुसार, सीआईएल ने 2027–28 तक लगभग 50.00 एमटीवाई की क्षमता के साथ 128 अन्य सीएम की कमीशनिंग की योजना की परिकल्पना की है।

हाईवॉल माइनिंग शुरू करने के लिए अब तक 20 खानों की पहचान की जा चुकी है और इनमें से चार खानों, ईसीएल में दो और बीसीसीएल और सीसीएल में एक–एक में वर्क ऑर्डर जारी किया जा चुका है।

एमडीओ के माध्यम से राजस्व साझाकरण मॉडल पर परित्यक्त/बंद खानों की नीलामी के उद्देश्य से अब तक कुल 30 खानों (20 खानों का भाग–I और 10 खानों का भाग–II) की पहचान की गई है। इसमें से ईसीएल की तीन खानों और डब्ल्यूसीएल की एक खान में एलओए जारी किया जा चुका है जबकि एसईसीएल की एक खान में एलओए जारी करने के लिए बोर्ड की मंजूरी का इंतजार है।

इसके अलावा, खान श्रमिकों के अनुत्पादक यात्रा समय को कम करने के उद्देश्य से कई भूमिगत खानों में मैन–राइडिंग प्रणाली शुरू की गई है। वर्तमान में, सीआईएल की खानों में 47 मैन–राइडिंग सिस्टम प्रचालन में हैं। सीआईएल की भूमिगत खानों के लिए 21 अन्य मैन राइडिंग योजनाएं तैयार की गई हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीक के साथ प्रस्तावित कुछ भूमिगत खानों के लिए, पुरुषों और सामग्री के लिए ट्रैकलेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रस्तावित किया गया है। तदनुसार, ईसीएल की झंझरा और कोट्टाडीह भूमिगत खान में वर्तमान में पांच फ्री–स्टीयर वाहन और छह बहु–उपयोगी वाहन चल रहे हैं।

ओपन कास्ट खानों का मशीनीकरण:

- सीआईएल ने कार्य क्षमता में सुधार के लिए अत्याधुनिक तकनीक शुरु की है। गेवरा एक्सपेंशन, दीपका और कुसमुंडा ओपन कास्ट खानों में 240 टन रियर डम्पर के साथ 42 सह–शॉवेल जैसे उच्च क्षमता वाले एचईएमएम शुरु किए गए हैं जबकि, एनसीएल की अम्लोहरी, दुधीचुआ, जंयत, खडिया और निगाही तथा ईसीएल के राजमहल में 190 टी रियर डम्पर के साथ 20 सह–शॉवेल चल रहे है।
- परिचालन दक्षता, ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार और पर्यावरणीय जरूरतों को पूरा करने के लिए ओपनकास्ट खानों में सर्फेस माइनर्स को बड़े पैमाने पर शुरु किया गया है। 2020–21 के दौरान सीआईएल के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 50.16% सर्फेस माइनर्स का उपयोग करके प्राप्त किया गया था।
- वाहनों की आवाजाही की वास्तविक समय निगरानी को सक्षम करने के लिए जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग, बूम बैरियर के साथ आरएफआईडी प्रणाली आधारित निगरानी उपकरण आरंभ किए गए हैं जो चोरी आदि के खिलाफ सुधारात्मक उपायों की सुविधा प्रदान करते हैं।
- डिजिटलीकरण के माध्यम से खान की समग्र दक्षता और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए, सीआईएल ने सात (07) चयनित ओपनकास्ट खानों (एसईसीएल के 3 और एनसीएल के 4) में 'डिजिटल परिवर्तन' के लिए पहल की है।
- डब्ल्यूसीएल की एक खान, एसईसीएल की तीन खानों और ईसीएल की एक खान में स्लोप स्टेबिलिटी रडार लगाया गया है। एसएंडटी स्टडी के तहत एनसीएल के दुधिचुआ ओसी में एक और स्लोप स्टेबिलिटी रडार तैनात किया गया है। भविष्य में सीआईएल की अन्य बड़ी खानों में स्लोप स्टेबिलिटी रडार लगाया जाएगा।
- एमसीएल की दो खानों में ओवरबर्डन के निष्कर्षण के लिए वर्टिकल रिपर्स लगाए गए हैं। साथ ही ओबी के निष्कर्षण के लिए सरफेस माइनर लगाने के लिए ओईएम के साथ परामर्श किया जा रहा है।
- सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों में ड्रोन–आधारित भूतल सर्वेक्षण किया जा रहा है।

- इसके अलावा, सीआईएल अपने मानव, भौतिक और वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन के लिए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) और अन्य आईटी–सक्षम प्रणाली शुरू करने की प्रक्रिया में है, जो सीआईएल की परिचालन दक्षता को एक बड़ा बढ़ावा देगा।

सर्वेक्षण और अन्वेषण

- उच्चतम स्तर की सटीकता के लिए, सर्वेक्षण और माप कार्य के लिए कुल स्टेशन और 3डी टीएलएस सर्वेक्षण उपकरण पहले ही पेश किए जा चुके हैं। सीएमपीडीआईएल द्वारा एलआईडीएआर और थर्मल सेंसर से लैस दो हाई एंड सर्वे ग्रेड ड्रोन टेक्नोलॉजी की खरीद की गई है, जिसका उपयोग वॉल्यूमेट्रिक मापन, वृक्षारोपण की निगरानी, माइन क्लोजर गतिविधियों, माइन फायर जोन की थर्मल मैपिंग और माइन ऑपरेशन के लिए डिजिटल टेरेन मॉडल तैयार करने के लिए किया जाएगा।

- अन्वेषण कार्य में, अत्यधिक लहरदार स्थलाकृति और कम पहुंच क्षमता वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से उत्तर पूर्व क्षेत्रों आदि के सर्वेक्षण के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी की शुरूआत के माध्यम से प्रगति हासिल की जाती है। इस तकनीक का उपयोग करके कम समय में अधिक आधार कवर किया जा सकता है और सॉफ्टवेयर में हाल के विकास के कारण, इस हाई डेफिनिशन डाटासेट को संभालना काफी आसान हो गया है और पूरे क्षेत्र के लिए अयस्क/खनिज निकायों, बेसमेंट आदि की सटीक मॉडलिंग की जा सकती है। इसके अलावा, भूकंपीय सर्वेक्षण प्रक्रिया, सामान्य सतही इलाके में एक पारंपरिक अन्वेषण तकनीक (2डी/3डी) का उपयोग विभागीय के साथ–साथ आउटसो सग के माध्यम से किया जा रहा है और वर्तमान में आयातित सॉफ्टवेयर पीएआरएडीआईजीएम का उपयोग किया जा रहा है।

एनएलसी खानों का प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण:

एनएलसी इंडिया लिमिटेड भारत में लिग्नाइट और कोयला खनन में अग्रणी है, जिसने खानों और थर्मल इकाइयों के अपने विभिन्न क्षेत्रों में नई खनन तकनीकों को अपनाया है।

खनन क्षेत्र में अपनाई जा रही नवीनतम तकनीकों का सारांश नीचे दिया गया है:

एनएलसीआईएल के नवीनतम प्रौद्योगिकीय नवाचार:

1. **ओबी/लिग्नाइट/कोयला का स्थानिक डाटा विज़ुअलाइज़ेशन और वॉल्यूम मापन**

    - एनएलसीआईएल भारत में अपने सभी लिग्नाइट और कोयला खानों में डीटीएम से डीटीएम पर आधारित आईबी, ओबी, कोयला और लिग्नाइट के आयतन मापन के लिए 3डी टीएलएस का उपयोग कर रहा है।

2. ट्रिम्बल आर 12 डीजीपीएस और 3डी–टीएलएस के **एकीकरण के साथ भू–स्थानिक डेटा जनरेशन** जो खानों में टेरेस्ट्रियल लेजर स्कैनर के उपयोग में एक बेंचमार्क अनुकूलन करेगा।

3. **भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस):**

- ये भू–स्थानिक डाटा किसी वस्तु के स्थान, आकार और आकार प्रस्तुत करते हैं।
- जीआईएस का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है
    - o ओबी/आईबी/लिग्नाइट/कोयला–आरक्षित अनुमान।
    - o भू–रासायनिक और जल विज्ञान डेटा।
    - o रिपोर्ट जनरेशन।

6. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द/पुनः आवंटित कोयला खानों का आवंटन

कोयला मंत्रालय (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत कोयला मंत्रालय द्वारा सीआईएल को आवंटन के लिए स्वीकृत 11 कोयला ब्लॉकों/खानों में से 4 कोयला ब्लॉकों/खानों का आवंटन कोयला मंत्रालय द्वारा पहले ही रद्द कर दिया गया है। पिछले वर्षों के दौरान शेष 7 कोयला ब्लॉकों/खानों को आवंटन आदेश जारी किए जा चुके हैं।

2022–23 के दौरान, कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द/डी–आवंटित की गई कोयला खानों में से सीआईएल/उसकी सहायक कंपनियों को कोई कोयला ब्लॉक/खान आवंटित नहीं किया गया है।

7. एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों का आवंटन

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के उपबंधों के तहत सीआईएल/उसकी सहायक कंपनियों को आवंटन के लिए पूर्व में स्वीकृत 6 कोयला ब्लॉकों में से 4 कोयला ब्लॉकों को पिछले वर्षों में सीआईएल/उसकी सहायक कंपनियों द्वारा कोयला मंत्रालय को सौंप दिया गया है।

2022–23 के दौरान, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के उपबंधों के तहत वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को शेष 2 कोयला ब्लॉकों का आवंटन अर्थात ओडिशा राज्य में घोघरपल्ली और आईबी वैली कोलफील्ड्स के घोघरपल्ली के डीप एक्सटेंशन को कोयला मंत्रालय द्वारा रद्द कर दिया गया है।

2022–23 के दौरान, कोयला मंत्रालय से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 के उपबंधों के तहत आवंटन की प्रक्रिया के माध्यम से महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड को ओडिशा राज्य में तलचर कोलफील्ड के छेलिया कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए सीआईएल द्वारा अनुरोध किया गया है।

कोयले की बिक्री के लिए वाणिज्यिक कोयला खनन भारत में पहली बार 18 जून 2020 को शुरू किया गया था। वाणि ाज्यिक नीलामी शुरू होने के साथ, पहली दौर में, 38 कोयला ब्लॉक (सीएमएसपी अधिनियम के तहत 28 और एमएमडीआर अधिनियम के तहत 10) नीलामी के लिए पेश किए गए थे और 20 कोयला ब्लॉक (सीएमएसपी अधिनियम के तहत 16 और एमएमडीआर अधिनियम के तहत 4) की सफलतापूर्वक नीलामी की गई थी। दूसरे दौर में, 67 कोयला ब्लॉक (23 सीएमएसपी अधिनियम के तहत और 44 एमएमडीआर अधिनियम के तहत) नीलामी के लिए पेश किए गए थे। इनमें से 12 कोयला ब्लॉकों (6 सीएमएसपी अधिनियम के तहत और 6 एमएमडीआर अधिनियम के तहत) की सफलतापूर्वक नीलामी की गई। बाद के तीसरे दौर में, 88 कोयला ब्लॉक (35 सीएमएसपी अधिनियम के तहत और 53 एमएमडीआर अधिनियम के तहत) नीलामी के लिए पेश किए गए थे, जिनमें से 15 कोयला ब्लॉक (सीएमएसपी अधिनियम के तहत 9 और एमएमडीआर अधिनियम के तहत 6) की सफलतापूर्वक नीलामी की गई थी। चौथ दौर में, 99 कोयला ब्लॉक (35 सीएमएसपी अधिनियम के तहत और 64 एमएमडीआर अधिनियम के तहत) नीलामी के लिए पेश किए गए थे, जिनमें से 8 कोयला ब्लॉक (सीएमएसपी अधिनियम के तहत 7 और एमएमडीआर अधिनियम के तहत 1) की सफलतापूर्वक नीलामी की गई थी। चौथे दौर में, 99 कोयला ब्लॉक (35 सीएमएसपी अधिनियम के तहत और 64 एमएमडीआर अधिनियम के तहत) नीलामी के लिए पेश किए गए थे, जिनमें से 8 कोयला ब्लॉक (सीएमएसपी अधिनियम के तहत 7 और एमएमडीआर अधिनियम के तहत 1) की सफलतापूर्वक नीलामी की गई थी। नीलामी की 5वें दौर में, 109 ब्लॉक (सीएमएसपी अधिनियम के तहत 29 कोयला ब्लॉक और एमएमडीआर अधिनियम के तहत 71 कोयला ब्लॉक और 9 लिग्नाइट ब्लॉक) की पेशकश की गई थी। इन ब्लॉकों में से, 8 कोयला ब्लॉकों (3 सीएमएसपी अधिनियम के तहत और 5 एमएमडीआर अधिनियम के तहत) की सफलतापूर्वक नीलामी की गई। नीलामी के मौजूदा दौर में कुल 133 ब्लॉक ख125 कोयला ब्लॉक (सीएमएसपी अधिनियम के तहत 29 और एमएमडीआर अधिनियम के तहत 96) और 8 लिग्नाइट ब्लॉक, की नीलामी की छठें दौर में पेशकश की गई है जबकि 8 ब्लॉक (7 कोयला और 1 लिग्नाइट) की पेशकश की गई है। नीलामी के 5वें दौर के दूसरे प्रयास के तहत पेशकश की गई है। नीलामी के वर्तमान छठे दौर में घनी आबादी वाले क्षेत्रों, आरक्षित वन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों, मौजूदा बुनियादी ढांचे वाले क्षेत्रों आदि को बाहर करने के लिए कुछ ब्लॉकों की सीमा को संशोधित किया गया है और इन ब्लॉको को आकर्षक बनाने हेतु बहुत बड़े ब्लॉकों को उप–ब्लॉकों में विभाजित किया गया है।

[टिप्पणीः सीएमएसपी अधिनियम और एमएमडीआर अधिनियम दोनों के तहत कोयला ब्लॉकों की वर्तमान आवंटन स्थिति और कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों के आवंटन के लिए नीतिगत सुधारों से संबंधित जानकारी कोयला मंत्रालय में अद्यतन की जा सकती है।]

कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों के आवंटन के लिए नीतिगत सुधारः

कोयले की बिक्री के लिए वाणिज्यिक कोयला खनन भारत में पहली बार 18 जून 2020 को शुरू किया गया था। वाणिज्यिक नीलामी शुरू होने के साथ, पहली दौर में, 38 कोयला ब्लॉक (सीएमएसपी अधिनियम के तहत 28 और एमएमडीआर अधिनियम के तहत 10) नीलामी के लिए पेश किए गए थे और 20 कोयला ब्लॉक (सीएमएसपी अधिनियम के तहत 16 और एमएमडीआर अधिनियम के तहत 4) की सफलतापूर्वक नीलामी की गई थी। दूसरे दौर में, 67 कोयला ब्लॉक (23 सीएमएसपी अधिनियम के तहत और 44 एमएमडीआर अधिनियम के तहत) नीलामी के लिए पेश किए गए थे। इनमें से 12 कोयला ब्लॉकों (6 सीएमएसपी अधिनियम के तहत और 6 एमएमडीआर अधिनियम के तहत) की सफलतापूर्वक नीलामी की गई। बाद के तीसरे दौर में, 88 कोयला ब्लॉक (35 सीएमएसपी अधिनियम के तहत और 53 एमएमडीआर अधिनियम के तहत) नीलामी के लिए पेश किए गए थे, जिनमें से 15 कोयला ब्लॉक (सीएमएसपी अधिनियम के तहत 9 और एमएमडीआर अधिनियम के तहत 6) की सफलतापूर्वक नीलामी की गई थी। चौथ दौर में, 99 कोयला ब्लॉक (35 सीएमएसपी अधिनियम के तहत और 64 एमएमडीआर अधिनियम के तहत) नीलामी के लिए पेश किए गए थे, जिनमें से 8 कोयला ब्लॉक (सीएमएसपी अधिनियम के तहत 7 और एमएमडीआर अधिनियम के तहत 1) की सफलतापूर्वक नीलामी की गई थी। चौथे दौर में, 99 कोयला ब्लॉक (35 सीएमएसपी अधिनियम के तहत और 64 एमएमडीआर अधिनियम के तहत) नीलामी के लिए पेश किए गए थे, जिनमें से 8 कोयला ब्लॉक (सीएमएसपी अधिनियम के तहत 7 और एमएमडीआर अधिनियम के तहत 1) की सफलतापूर्वक नीलामी की गई थी। नीलामी की 5वें दौर में, 109 ब्लॉक (सीएमएसपी अधिनियम के तहत 29 कोयला ब्लॉक और एमएमडीआर अधिनियम के तहत 71 कोयला ब्लॉक और 9 लिग्नाइट ब्लॉक) की पेशकश की गई थी। इन ब्लॉकों में से, 8 कोयला ब्लॉकों (3 सीएमएसपी अधिनियम के तहत और 5 एमएमडीआर अधिनियम के तहत) की सफलतापूर्वक नीलामी की गई। नीलामी के मौजूदा दौर में कुल 133 ब्लॉक [125 कोयला ब्लॉक (सीएमएसपी अधिनियम के तहत 29 और एमएमडीआर अधिनियम के तहत 96) और 8 लिग्नाइट ब्लॉक] की नीलामी की छठें दौर में पेशकश की गई है जबकि 8 ब्लॉक (7 कोयला और 1 लिग्नाइट) की पेशकश की गई है। नीलामी के 5वें दौर के दूसरे प्रयास के तहत पेशकश की गई है। नीलामी के वर्तमान छठे दौर में घनी आबादी वाले क्षेत्रों, आरक्षित वन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों, मौजूदा बुनियादी ढांचे वाले क्षेत्रों आदि को बाहर करने के लिए कुछ ब्लॉकों की सीमा को संशोधित किया गया है और इन ब्लॉको को आकर्षक बनाने हेतु बहुत बड़े ब्लॉकों को उप–ब्लॉकों में विभाजित किया गया है।

[टिप्पणीः सीएमएसपी अधिनियम और एमएमडीआर अधिनियम दोनों के तहत कोयला ब्लॉकों की वर्तमान आवंटन स्थिति और कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों के आवंटन के लिए नीतिगत सुधारों से संबंधित जानकारी कोयला मंत्रालय में अद्यतन की जा सकती है।]

8. गुणवत्ता और तृतीय पक्ष द्वारा नमूनाकरण– हाल के निर्णय

कोयले की गुणवत्ता के संबंध में उपभोक्ताओं (विद्युत उपयोगिताओं) की चिंताओं को दूर करने के लिए, कोयला कंपनियों द्वारा आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लोडिंग एंड पर थर्ड पार्टी सैंपलिंग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) 2015 में शुरू की गई है, जिसके लिए केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआर, एक सीएसआईआर संस्था) को कोयला कंपनियों और बिजली क्षेत्र द्वारा संयुक्त रूप से नियुक्त किया गया है। लोडिंग एंड पर कोयले के नमूने और परीक्षण के लिए आपूर्तिकर्ता (कोयला कंपनियों), क्रेता (पावर यूटिलिटीज) और सीआईएमएफआर के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे बाद में एफएसए, एमओयू और विभिन्न नीलामी उपभोक्ताओं के तहत 28.08.2020 से गैर–बिजली क्षेत्र के उपभोक्ताओं तक बढ़ाया गया।

नॉन–पावर सेक्टर के लिए, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआइ) को लोडिंग एंड पर थर्ड पार्टी सैंपलिंग जॉब के लिए लगाया गया है, जिसे बाद में 28.08.2020 से एफएसए, एमओयू और विभिन्न ई–नीलामी उपभोक्ताओं के तहत बिजली क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए बढ़ाया गया था।

नमूनाकरण और कोयला परीक्षण शुल्क खरीदार और विक्रेता

द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है।

ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) के संदर्भ में, सीआईएल शुरू में कोयले के घोषित ग्रेड के आधार पर ग्राहकों को बिल देती है और बाद में तीसरे पक्ष/रेफरी प्रयोगशाला की कोयला गुणवत्ता विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर समायोजित करती है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च (सीआईएमएफआर) और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) के अलावा वैश्विक स्तर पर उपस्थिति रखने वाली दो और एजेंसियां, जैसे कि मेसर्स कोटेकना इंस्पेक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उपभोक्ताओं को तृतीय–पक्ष एजेंसियों के अधिक विकल्प प्रदान करने और सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को सामने लाने के लिए दिनांक 15.03.2021 की अधिसूचना के माध्यम से सीआईएल द्वारा भी सूचीबद्ध किया गया है। मैसर्स कोटेकना इंस्पेक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का पैनल हितों के टकराव के लिए 11.10.2022 से समाप्त कर दिया गया था।

ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाने के लिए खान से प्रेषण स्थल तक कोयले के गुणवत्ता प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया है। अब, सीआईएल के सभी उपभोक्ताओं के पास स्वतंत्र तृतीय–पक्ष नमूनाकरण एजेंसियों के माध्यम से आपूर्ति के गुणवत्ता मूल्यांकन का विकल्प है।

इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 30.03.2021 के माध्यम से निर्णय से अवगत कराया कि पीएफसी (पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन) सीआईएमएफआर के अलावा बिजली उपयोगिताओं के लिए टीपीएस एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा और उपभोक्ता किसी भी सूचीबद्ध एजेंसियों की सेवाएं लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। पीएफसी द्वारा विद्युत क्षेत्र के लदान स्थल पर कोयले के नमूने तैयार करना और उनका विश्लेषण करने के लिए नवंबर 2021 में निविदा जारी की गई थी। इसके बाद, पीएफसी द्वारा 28.12.2021 को मैसर्स मित्रा एसके प्राइवेट लिमिटेड को संग्रह के लिए तीसरे पक्ष की नमूना एजेंसी (एल–1, सबसे कम बोली लगाने वाले) के रूप में सूचीबद्ध करने का पत्र जारी किया गया था।

पीएफ़सी द्वारा सूचीकरण का दूसरा दौर प्रगति पर है ताकि उपभोक्ताओं (विद्युत और गैर–विद्युत दोनों) को बड़ी संख्या में तृतीय पक्ष नमूनाकरण एजेंसियों से नमूना सेवाओं का लाभ उठाने का व्यापक विकल्प मिले। टेंडर की प्रक्रिया चल रही है।

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयला कंपनियों को निम्नलिखित शेष श्रेणियों के लिए थर्ड पार्टी सैंपलिंग के कवरेज के लिए निदेश जारी किए गए हैं।

I. गैर–विद्युत एफएसए

II. एसएनए को आपूर्तित कोयला

III. ई–नीलामी योजनाएं

अब, सभी ई–नीलामी योजनाओं और एफएसए के तहत कोयले की आपूर्ति के लिए उपभोक्ताओं के लिए तृतीय पक्ष गुणवत्ता सत्यापन उपलब्ध है। यह निदेश दिया गया है कि पावर यूटिलिटी और कोयला कंपनी को पिछले महीने से पहले के महीने के दौरान कोयले की आपूर्ति के लिए सभी व्यवस्थित परिणामों के लिए हर महीने की 5 तारीख (या छुट्टी के मामले में बाद के दिन) तक ग्रेड समाधान करना चाहिए।

नामित रेफरी प्रयोगशालाओं द्वारा कोयले की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, ग्रेड स्लिपेज को नियंत्रित करने और रेफरी नमूनों के परिणाम घोषित करने के लिए 15 दिन की समय सीमा के संबंध में भी निदेश जारी किए गए हैं।

दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार सैंपलिंग के लिए टीपीएसए अर्थात सीआईएमएफआर, क्यूसीआई, एसजीएस और मित्रा एसके के साथ सीआईएल द्वारा हस्ताक्षरित वार्षिक समझौते की मात्रा क्रमशः 643 मि.ट., 215 मि.ट., 4 मि.ट. और 3.6 मि.ट. है।

9. कोयला लिंकेज का युक्तिकरणः

कोयला मंत्रालय ने 2015 में राज्य/केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के विद्युत संयंत्रों के लिए लिंकेज युक्तिकरण के लिए नीति जारी की है। विद्युत क्षेत्र (राज्य/केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए) में कोयला लिंकेज युक्तिकरण के परिणामस्वरूप खानों से विद्युत संयंत्रों तक परिवहन लागत में कमी आई है जिससे अधिक दक्ष कोयला आधारित विद्युत उत्पादन हुआ। कोयला मंत्रालय ने 2018 में स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के लिए लिंकेज युक्तिकरण के लिए नीति जारी की है।

अब तक 6420 करोड़ रुपये की वार्षिक संभावित बचत के साथ 92.16 मि.ट. कोयले को युक्तिसंगत बनाया गया है।

2020 में लिंकेज युक्तिकरण पर एक नई पद्धति तैयार की गई है जिसमें विद्युत के साथ–साथ गैर–विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) शामिल हैं और आयातित कोयले के साथ कोयले की अदला–बदली की भी अनुमति दी गई है।

10. पुराने संयंत्रों को स्क्रैप करते समय और उन्हें नए संयंत्रों के साथ बदलने के दौरान कोल लिंकेज/एलओए का स्वतः हस्तांतरण।

27.06.2014 को आयोजित एसएलसी (एलटी) बैठक में पुरानी इकाइयों को नए संयंत्रों के साथ बदलने के मामले में लिंकेज के हस्तांतरण पर नीति के मुद्दे पर विचार–विमर्श किया गया था, जिसमें समिति ने सिफारिश की थी कि विद्युत मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर नए संयंत्र 13वीं योजना के अंत तक स्टैगर्ड तरीके से सामने आएंगे और 14वीं योजना तक भी जा सकते हैं, समिति ने पुराने संयंत्रों को खत्म करने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया:

(i) पुराने संयंत्र को दिया गया एलओए/लिंकेज निकटतम सुपर क्रिटिकल क्षमता वाले नए संयंत्र में स्वतः ही स्थानांतरित हो जाएगा'

(ii) यदि नए सुपर क्रिटिकल संयंत्र की क्षमता पुराने संयंत्र की तुलना में अधिक है, तो अतिरिक्त कोयले को प्राथमिकता दी जा सकती है बशर्ते कि सीआईएल से सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर कोयले की उपलब्धता हो।

(iii) नए सुपर क्रिटिकल प्लांट की कम से कम 50% क्षमता को समाप्त करना होगा। प्रस्तावित सुपर क्रिटिकल क्षमता के 50% के इस न्यूनतम बेंचमार्क को प्राप्त करने के लिए पुराने संयंत्रों को एक साथ जोड़ा जा सकता है।

(iv) यह नीति सार्वजनिक क्षेत्र में पूर्व–एनसीडीपी संयंत्रों पर लागू होगी, जिन्हें पहले ही दीर्घकालिक लिंकेज/एलओए प्रदान किए जा चुके हैं

(v) जैसा कि ऊपर बताया गया है, एलओए के स्वतः हस्तांतरण की अनुमति तभी होगी जब नया संयंत्र उस राज्य के भीतर स्थापित किया गया हो जिसमें पुराना संयंत्र स्थित है और पुराने संयंत्र को वास्तव में रद्द कर दिया गया है। पुराना प्लांट नए प्लांट के सीओडी तक काम करता रहेगा।

तथापि, बाद में, बिंदु संख्या (अ) में इस आशय का संशोधन किया गया था कि केंद्रीय क्षेत्र से संबंधित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए, लिंकेज/एलओए को स्क्रैप से एक नई इकाई में स्वचालित हस्तांतरण की अनुमति उस राज्य के बाहर दी जाएगी जिसमें पुरानी इकाई स्थित है।

11. गैर–विनियमित क्षेत्र के लिए कोयला लिंकेज की नीलामी

कोयला मंत्रालय द्वारा गैर–विनियमित क्षेत्र को कोयला लिंकेज के आवंटन के लिए दिनांक 15.02.2016 को जारी नीतिगत दिशानिर्देशों के बाद, सीआईएल स्पंज आयरन, सीमेंट, सीपीपी, अन्य (नॉन कोकिंग), अन्य (कोकिंग) और स्टील (कोकिंग) उपक्षेत्रों को कोयला आवंटन के लिए लिंकेज नीलामी आयोजित कर रहा है।

सीआईएल ने लिंकेज नीलामी के पांच दौरों को पूरा कर लिया है, जहां सफल बोलीदाताओं द्वारा प्रति वर्ष कुल 131.19 मि.ट. के लिंकेज बुक किए गए हैं।

11.1 शक्ति के तहत विद्युत क्षेत्र को कोयला लिंकेज

सरकार ने मौजूदा आश्वासन पत्र (एलओए) – ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) प्रणाली को खत्म करने की मंजूरी दी और भारत में पारदर्शी रूप से कोयला (कोयला) के दोहन और आवंटन के लिए योजना (शक्ति), 2017 की शुरुआत की, जिसे कोयला मंत्रालय द्वारा 22.05.2017 को जारी किया गया था। सरकार ने शक्ति नीति, 2017 में संशोधन को भी मंजूरी दी, जिसे कोयला मंत्रालय द्वारा 25.03.2019 को जारी किया गया था। शक्ति नीति की मुख्य विशेषताएं (जैसा कि इसके विभिन्न पैराओं के तहत विस्तृत है) इस प्रकार हैं:

पैरा क: एफएसए पर लंबित एलओए धारकों के साथ यह सुनिश्चित करने के बाद हस्ताक्षर किए जा सकते हैं कि संयंत्र चालू हो गए हैं, संबंधित उपलब्धि प्राप्त हुई है, एलओए की सभी निर्दिष्ट शर्तों को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरा किया गया है और जहां एलओए धारक के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं

पाया जाता है। इसके अलावा, इसने मौजूदा कोयले की आपूर्ति को वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) के 75% की दर से लगभग 68,000 मेगावाट की क्षमता तक जारी रखने की अनुमति दी है, जिसे भविष्य में कोयले की उपलब्धता के आधार पर और बढ़ाया जा सकता है। नीति ने एफएसए के मुकाबले लगभग 19,000 मेगावाट क्षमता के लिए एसीक्यू के 75% पर कोयले की आपूर्ति को सक्षम किया है, जिसे चालू करने में देरी हुई है, बशर्ते ये संयंत्र 31.03.2022 के भीतर चालू हो जाएं। डिस्कॉम्स द्वारा आमंत्रित बोलियों के लिए भविष्य में संपन्न होने वाले मध्यम अवधि के विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) को भी लिंकेज कोयला आपूर्ति के लिए योग्य बनाया गया है।

पैरा ख (i): कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)/सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) विद्युत मंत्रालय की सिफारिशों पर अधिसूचित मूल्य पर राज्य/केंद्रीय जेनको/संयुक्त उद्यमों को कोयला लिंकेज प्रदान कर सकती है।

पैरा ख (ii): घरेलू कोयले पर आधारित दीर्घकालिक पीपीए वाले स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) से लिंकेज, जहां नीलामी में भाग लेने वाले आईपीपी टैरिफ पर छूट के लिए बोली लगाएंगे (पैसे/यूनिट में)। जो बोलीदाता किसी भी कारण से ख(ii) के तहत लिंकेज नीलामी में भाग नहीं ले सके, उन्हें इस नीति की ख(ii) नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा, जो बोलीदाता पूर्ण एसीक्यू के लिए लिंकेज सुरक्षित नहीं कर सके, वे बेंचमार्किंग छूट के बाद ख(पप) के तहत बाद के चरण में भविष्य की नीलामी में भाग लेकर शेष राशि के लिए लिंकेज प्राप्त कर सकते हैं।

पैरा ख (iii): पीपीए के बिना आईपीपी/विद्युत उत्पादकों से लिंकेज नीलामी के आधार पर होगा।

पैरा ख (iv): राज्यों को विवरण के साथ कोल लिंकेज की उपलब्धता की पूर्व–घोषणा करके नए पीपीए के लिए कोल लिंकेज भी निर्धारित किए जा सकते हैं। राज्य इन लिंकेज को डिस्कॉम्स/राज्य द्वारा नामित एजेंसियों (एसडीए) को इंगित कर सकते हैं।

पैरा ख (v): राज्यों के समूह की विद्युत की आवश्यकता को भी एकत्र किया जा सकता है और इस तरह की एकत्रित विद्युत की खरीद एक एजेंसी द्वारा की जा सकती है, जिसे विद्युत मंत्रालय द्वारा नामित किया गया है या ऐसे राज्यों द्वारा टैरिफ आधारित बोली के आधार पर अधिकृत किया गया है।

पैरा ख (vi): केंद्र सरकार की पहल के तहत अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी) स्थापित करने के लिए नामित एजेंसी द्वारा निगमित विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देशों के तहत विद्युत मंत्रालय की सिफारिश पर टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से पूर्ण मानक मात्रा के लिए लिंकेज प्रदान किया जाएगा।

पैरा ख (vii): कोयला मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय के परामर्श से, उपभोक्ताओं को लागत बचत के पूर्ण पास के साथ आयातित कोयले के आधार पर, पीपीए वाले आईपीपी को कोयला लिंकेज आवंटित करने के लिए एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया की विस्तृत पद्धति तैयार कर सकता है।

पैरा ख (viii):

(क) बिना पीपीए वाले विद्युत संयंत्रों को डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट एनर्जी प्राइस (डीईईपी) पोर्टल के माध्यम से पावर एक्सचेंज के माध्यम से या अल्पावधि में डे अहेड मार्केट (डीएएम) में लिंकेज के माध्यम से उत्पन्न विद्युत की बिक्री के लिए ख(iii) और ख(iv) के तहत न्यूनतम 3 महीने की अवधि के लिए अधिकतम 1 वर्ष तक कोयला लिंकेज की अनुमति है।

(ख) डीईईपी पोर्टल या जनरेटर द्वारा पावर एक्सचेंज का उपयोग करके शॉर्ट टर्म पीपीए के माध्यम से विद्युत की बिक्री के लिए मौजूदा कोयला लिंकेज का उपयोग, जो डिस्कॉम द्वारा भुगतान में चूक के मामले में पीपीए को समाप्त करता है, अधिकतम 2 साल की अवधि के लिए या जब तक वे लंबी/मध्यम अवधि के पीपीए के तहत विद्युत का दूसरा खरीदार खोजें, जो भी पहले हो।

(ग) ख (अ) के तहत कोयला लिंकेज उन मामलों में भी लागू होता है, जहां विद्युत मंत्रालय द्वारा नामित नोडल एजेंसी ऐसे राज्यों से मांग के बिना भी राज्यों के समूह के लिए विद्युत की आवश्यकता को एकत्रित/खरीदती है।

(घ) केंद्रीय और राज्य उत्पादन कंपनियां संकटग्रस्त विद्युत संपत्तियों की शक्ति के एक समूह के रूप में कार्य कर सकती हैं।

ङ.) ऋण का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु तंत्र।

अब तक, नीति के विभिन्न पैराओं के तहत निम्नलिखित क्षमताओं को कोयला लिंकेज प्रदान किया गया है (01.01.23 की स्थिति के अनुसार):

(i) शक्ति नीति के पैरा क (i) के प्रावधानों के तहत 8120 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 9 एलओए धारकों को ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी गई है।

(ii) शक्ति नीति के पैरा ख (i) के प्रावधानों के तहत 22 ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) को कुल 22540 मेगावाट क्षमता के लिए लिंकेज प्रदान किया गया है।

(iii) शक्ति नीति के ख (ii) के तहत लिंकेज नीलामी के चार दौर पूर्ण किए गए हैं। ब्यौरा निम्नानुसार है:

- पहला दौर सितंबर, 2017 में आयोजित किया गया था, जिसमें दस सफल बोलीदाताओं द्वारा 27.18 मि.ट. प्रति वर्ष (एमटीपीए) वार्षिक लिंकेज बुक किया गया था।
- दूसरा दौर मई, 2019 में आयोजित किया गया था जिसमें आठ बोलीदाताओं द्वारा 2.97 एमटीपीए लिंकेज की मात्रा बुक की गई है।
- मई, 2020 के दौरान पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) द्वारा तीसरे दौर में 5 सफल बोलीदाताओं द्वारा 2.8 एमटीपीए लिंकेज बुक किए गए हैं।
- सितंबर, 2021 में पीएफसीसीएल द्वारा चौथे दौर आयोजित किया गया, जहां 5 सफल बोलीदाताओं द्वारा 3.20 एमटीपीए लिंकेज बुक किए गए हैं।

(iv) शक्ति नीति के पैरा ख (पपप) के तहत लिंकेज नीलामी के तीन दौर पूरे हो चुके हैं। विवरण नीचे दिया गया है

- पहला दौर फरवरी, 2020 में आयोजित किया गया था, जहां 11.8 एमटीपीए की पेशकश की तुलना में 7 सफल बोलीदाताओं द्वारा 6.49 एमटीपीए की मात्रा बुक की गई थी।
- दूसरा दौर मई, 2022 में आयोजित किया गया था, जहां 9.00 एमटीपीए की पेशकश की तुलना में 8 सफल बोलीदाताओं द्वारा 6.42 एमटीपीए की मात्रा बुक की गई थी।
- तीसरा दौर सितंबर, 2022 में आयोजित किया गया था, जहां 5 सफल बोलीदाताओं द्वारा 5.10 एमटीपीए की प्रस्तावित मात्रा पूरी तरह से बुक की गई थी।

(v) शक्ति नीति के पैरा ख (iv) के तहत लिंकेज के लिए सीआईएल से गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए क्रमशः 4000 मेगावाट और 3000 मेगावाट की क्षमता के लिए कोल लिंकेज निर्धारित किया गया है।

(vi) शक्ति नीति के पैरा ख (v) के तहत लिंकेज के लिए 4500 मेगावाट की क्षमता के लिए सीआईएल से कोयला लिंकेज निर्धारित किया गया है।

(vii) शक्ति नीति के पैरा ख (viii)(क) के तहत कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा तिमाही लिंकेज नीलामी के 11 दौरों का आयोजन किया गया है। कुल 58.37 मि.ट. कोयले की पेशकश की गई, जिसमें से सफल बोलीदाताओं द्वारा 23.71 मि.ट. की बुकिंग की गई।

12. ब्रिज लिंकेज संबंधी नीति

केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (दोनों विद्युत के साथ–साथ गैर–विद्युत क्षेत्र में, जिन्हें कोयला खानें/ब्लॉक आवंटित किए गए हैं) के निर्दिष्ट अंतिम उपयोग संयंत्रों को 'ब्रिज लिंकेज' प्रदान करने के लिए नीतिगत दिशानिर्देश सभी संबंधितों को परिचालित किए गए हैं। ब्रिज लिंकेज केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के एक निर्दिष्ट अंतिम उपयोग संयंत्र के कोयले की आवश्यकता और एमएमडीआर अधिनियम के तहत आवंटित अनुसूची–II कोयला खानों और कोयला ब्लॉकों से कोयला उत्पादन की शुरुआत के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए एक अल्पकालिक लिंकेज के रूप में कार्य करेगा। दिनांक 30.12.2022 की स्थिति के अनुसार, केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में एक सीपीपी यूनिट सहित 17 ताप विद्युत संयंत्रों को ब्रिज लिंकेज प्राप्त है।

13. कोयले की धुलाई पर जोर

इस्पात क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए देश में कोकिंग कोल के संवर्धन की तत्काल आवश्यकता है। देश में धातुकर्म कोयले के संसाधनों की दुर्लभ उपलब्धता के कारण, इत्पात क्षेत्र की मांग को अच्छी गुणवत्ता के आयातित कोकिंग कोयले के मिश्रण अनुपात को अधिकतम करने के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य तरीके से आंशिक रूप से उच्च राख कोकिंग कोयले को अलग–अलग लक्ष्य राख पर धोने से पूरा किया किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप देश के आयात में कमी आती है। इस संबंध में सीएमपीडीआई, एमसीएल और बीसीसएल के सहयोग से आईआईटी खड़गपुर द्वारा "भौतिक और रासायनिक लाभकारीकरण के माध्यम से उच्च ऐश भारतीय कोयले का उन्नयन" नामक तीन आरएंडडी परियोजनाएं; सीएमपीडीआई और बीसीसीएल के सहयोग से एनएमएल जमशेदपुर द्वारा "कार्बन मूल्यों की वसूली के लिए कोकिंग कोल वाशरी के मिडलिंग्स और फाइन्स का प्रभावी उपयोग"; और बीसीसीएल के सहयोग से एनएमएल जमशेदपुर और सीएमपीडीआई रांची द्वारा सिमुलेशन विश्लेषण के माध्यम से कोल इंडिया लिमिटेड के कोकिंग कोल वॉशरी का प्रदर्शन अध्ययन किया गया है और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

धुले हुए कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, सीआईएल ने मौजूदा वॉशरीज़ के नवीनीकरण के अलावा नई वॉशरीज़ की योजना बनाई है जो पहले से ही प्रचालन में हैं। वर्तमान में, सीआईएल के पास 13 कोयला वॉशरीज़ हैं, जिनमें से 11 कोकिंग कोल (2 हाल ही में कमीशन की गई कोकिंग कोल वाशरीज़ सहित) और 2 नॉन–कोकिंग कोल वाशरीज़ हैं, जिनकी कुल क्षमता क्रमशः 13.94 मि.ट. और 11 मि.ट. है।

अधिकांश मौजूदा वॉशरीज बहुत पुरानी हैं और अपने डिजाइन किए गए जीवन को पूरा कर चुकी हैं जिससे उनकी दक्षता कम हो गई है। उनकी प्रचालन दक्षता बढाने के लिए बीसीसीएल और सीसीएल की विभिन्न वॉशरिज के लिए नवीकरण हेतु विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट तैयार की गई है।

कोयले की धुलाई को और बढ़ावा देने के लिए, सीआईएल में 11 नई आगामी वॉशरीज परियोजनाएं हैं, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। 11 वाशरीज़ में से 10 कोकिंग कोल और 1 नॉन–कोकिंग कोल वॉशरी हैं। 3 वॉशरीज निर्माणाधीन हैं, एक वॉशरी पीजीटी के अधीन है, 2 वॉशरीज वैधानिक मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही हैं, 4 निविदा चरण में हैं और एक वॉशरी वैचारिक चरणों में हैं।

14. आग, धंसाव और पुनर्वास क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए मास्टर प्लान

भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12.08.2009 को आग, धंसाव और लुप्तप्राय क्षेत्रों से लोगों के पुनर्वास के दायरे के साथ मास्टर प्लान को अनुमोदित किया गया था। झरिया कोलफील्ड (जेसीएफ) में कार्यान्वयन की समय सीमा 12 वर्ष है जिसमें पूर्व–कार्यान्वयन गतिविधियों के 2 वर्ष शामिल हैं और अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुसार इसे 10 वर्षों के लिए रानीगंज कोलफील्ड (आरसीएफ) के लिए माना गया था। जेसीएफ के लिए मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की अवधि 11.08.2021 को समाप्त हो गई है और आरसीएफ के लिए 11.08.2019 को समाप्त हो गई है।

19वीं एचपीसीसी बैठक के निदेश के अनुसार, ईसीएल द्वारा सीएमपीडीआई आरआई–II और जेआरडीए के परामर्श से सीएमपीडीआई, आरआई–1 और एडीडीए और बीसीसीएल के परामर्श से वैकल्पिक पुनर्वास पैकेज, समय और लागत में वृद्धि को शामिल करते हुए एक व्यापक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया है।

दोनों व्यापक प्रस्ताव पर 21वीं एचपीसीसी बैठक में चर्चा हुई है। एचपीसीसी की 21वीं बैठक के निदेश के अनुसार, क्रमशः झारखंड सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार में दोनों प्रस्तावों के संशोधन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

सभी चिन्हित सक्रिय सतही आग को ईसीएल द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों के माध्यम से बुझाया/खुदाई की गई/ब्लैंकिट किया गया है। ईसीएल परिवारों के लिए, ईसीएल ने अपने सभी कर्मचारियों को स्थिर/सुरक्षित स्थानों पर मौजूदा ईसीएल क्वार्टरों में सक्रिय रूप से स्थानांतरित कर दिया था। गैर–ईसीएल परिवारों के लिए, आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए), पश्चिम बंगाल सरकार कार्यान्वयन एजेंसी है और कार्यान्वयन चल रहा है जिसके लिए जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण किया गया है। 139 साइटों (8.62 वर्ग किमी. प्रभावित क्षेत्र) में 33196 घरों के शुरुआती अनुमान की तुलना में लगभग 29,000 घरों (6101 कानूनी शीर्षक धारक, 22668 गैर–कानूनी

शीर्षक धारक और 222 संस्थान) की पहचान जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के माध्यम से 141 साइटों (बाद में 02 और साइटों) में की गई 6वीं एचपीसीसी बैठक में शामिल थे)।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के लीजहोल्ड में मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की संक्षिप्त स्थिति।

आग से निपटना: झरिया कोलफील्ड में सतही कोयले की आग के चित्रण के लिए बीसीसीएल द्वारा राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), हैदराबाद के माध्यम से कोयला खान अग्नि सर्वेक्षण / अध्ययन की स्थापना की गई थी। 2017 की अपनी रिपोर्ट के अनुसार कुल 34 सक्रिय अग्नि स्थल थे। बीसीसीएल ने इन स्थलों में आग से निपटने के लिए कार्रवाई की है। एनआरएससी ने 2021 में आग का सर्वेक्षण किया है और 27 अग्नि स्थलों की उपस्थिति की सूचना दी है। इन स्थलों में आग से निपटने के लिए बीसीसीएल द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

वर्तमान में, 16 खनन योग्य स्थानों में से 15 परिचालन में हैं और एक स्थान के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

शेष 11 अग्नि स्थल गैर खनन योग्य पाए गए हैं (अग्नि कोयले की खुदाई के लिए)। एनआरएससी द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन में, 10 अग्नि स्थलों ने घटती प्रवृत्ति को दिखाया है/आग का सीमांत संकेत सतही कंबलिंग की विधि द्वारा निपटाया जा रहा है। वायबिलिटी गैप फंडिंग से गैर खनन योग्य शेष 1 स्थलों पर आग बुझाने की योजना बनाई जा रही है।

झरिया मास्टर प्लान की समीक्षा और आगे का रास्ता सुझाने के लिए पीएमओ के मार्गदर्शन में सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

पुनर्वास : मास्टर प्लान के अनुसार 595 स्थलों में कुल 53,291 परिवारों का सर्वेक्षण किया जाना था। 2020 में जेआरडीए ने 595 स्थलों का सर्वेक्षण पूरा किया।

बेलघोरिया पुनर्वास टाउनशिप ''झरिया विहार'' में 6,352 आवास गृहों का निर्माण किया गया है, जिसमें 2,676 गैर–एलटीएच परिवारों (अतिक्रमणकारियों) को प्रभावित क्षेत्रों से स्थानांतरित किया गया है।

आग प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले बीसीसीएल कर्मचारियों को स्थानांतरित करने के लिए, बीसीसीएल द्वारा गैर–कोयला वाले क्षेत्रों में 11,798 घर बनाए गए हैं और 4,205 परिवारों को आग और अवतल स्थानों से इन घरों में स्थानांतरित कर दिया गया है। आगे बीसीसीएल द्वारा शेष घरों का और निर्माण विभिन्न चरणों में है।

परिवारों का पुनर्वास किया जाना

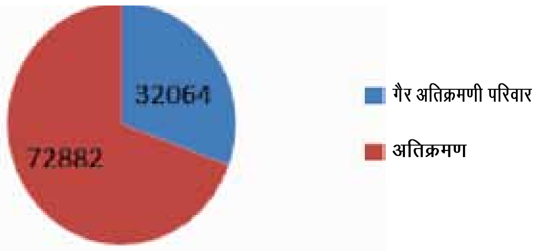

गैर–बीसीसीएल के लिए 23847 घरों में से अतिक्रमणकारियों (गैर–एलटीएच) हेतु, जेआरडीए द्वारा 18272 घरों का निर्माण आरंभ किया गया था। 6352 घर पूरे हो चुके हैं और 12000 घर निर्माणाधीन हैं और जून, 2024 तक पूरे हो जाएंगे। परिवारों के स्थानांतरण के मामले में अब तक 2676 परिवारों को स्थानांतरित कर दिया गया है।

मास्टर प्लान का कार्यकाल पूरा होने के कारण, चालू गतिविधियों को जारी रखने के लिए, मास्टर प्लान के समय विस्तार के प्रस्ताव की जांच की गई और कोयला मंत्रालय ने "प्रतिबद्ध कार्यों" के लिए एक वर्ष के लिए विस्तार दिया। इसके अलावा, मंत्रिमंडल सचिव के निदेश के अनुसार, निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ 25 अगस्त,2021 को सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में झरिया मास्टर प्लान की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया था।

- झरिया मास्टर प्लान की प्रगति की जांच करना।
- झरिया कोलफील्ड में आग और अस्थिर क्षेत्रों की समस्या की समीक्षा और व्यापक मूल्यांकन करना और पुनर्वास के लिए आग और अस्थिर क्षेत्रों पर विचार करने का सुझाव देना।
- आग और सुरक्षा प्रबंधन योजना के लिए रणनीति तैयार करना।
- प्रभावित स्थानीय समुदायों की भागीदारी के लिए उपयुक्त

रणनीतियों का सुझाव देना।

- स्थानीय प्रभावित समुदाय के अनुकूल पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार करना।
- झरिया कोलफील्ड्स में आग और अस्थिर क्षेत्रों में सतह के बुनियादी ढांचे के प्रबंधन/स्थानांतरण के लिए दीर्घकालिक उपायों का सुझाव देना।
- आग और अस्थिर क्षेत्रों के कारण प्रभावित कोकिंग कोल रिजर्व का आकलन करना और खनन के लिए रणनीति सुझाना।
- बेहतर कार्यान्वयन और निगरानी के लिए उपयुक्त तंत्र का सुझाव देना।

समिति ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और हितधारकों के साथ बातचीत की। रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

अनुमोदित मास्टर प्लान में संशोधन

मास्टर प्लान की अवधि पूरी होने के कारण चल रही गतिविधियों को जारी रखने के लिए, मास्टर प्लान के समय विस्तार के प्रस्ताव की जांच की गई और कोयला मंत्रालय ने "प्रतिबद्ध कार्यों" के लिए एक वर्ष के लिए विस्तार दिया।

इसके अलावा, पीएमओ के मार्गदर्शन में झरिया मास्टर प्लान की समीक्षा करने और आगे का रास्ता सुझाने के लिए सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उक्त रिपोर्ट मंत्रिमंडल सचिव को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई है। मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में 07.10.2022 को बैठक के एमओएम के अनुसार, समिति इस बैठक में हुए विचार–विमर्श के दौरान सामने आए मुद्दों की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देगी।

मंत्रिमंडल सचिव के निर्देशानुसार समिति की अंतिम बैठक दिनांक 26.10.22 को मुख्य सचिव, झारखण्ड के कार्यालय में हुई। बैठक में लिए गए निर्णयों तथा समिति सदस्यों से प्राप्त सुझावों/इनपुट के अनुसार समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। बीसीसीएल ने अपनी टिप्पणियां/इनपुट प्रस्तुत किए हैं, जैसाकि वांछित था।

"झरिया मास्टर प्लान के लिए आगे का रास्ता: भूतल अवसंरचना स्थानांतरण" विषय पर दिनांक 28.10.2022 को विशेष कार्य अधिकारी, कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में झरिया कोलफील्ड के प्रभावित क्षेत्रों से विभिन्न भूतल अवसंरचनाओं के स्थानांतरण की जिम्मेदारी के स्वामित्व से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में कोयला मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, झारखंड सरकार और बीसीसीएल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विस्तृत चर्चा के बाद इस बात पर सहमति बनी कि मंत्रालय/ विभाग के स्वामित्व वाली संपत्ति अपने स्वयं के संसाधनों से अपने बुनियादी ढांचे को स्थानांतरित करेगी।

15. भूमि सुधार के लिए उपग्रह निगरानी

सतत विकास के लिए खनन क्षेत्रों का पुनरुद्धार महत्वपूर्ण है। उचित सुधार पर जोर दिया जा रहा है जिसमें तकनीकी और जैविक सुधार के साथ–साथ खान को बंद करना शामिल है। भूमि सुधार के लिए उपग्रह निगरानी पर अपेक्षित जोर दिया जा रहा है ताकि भूमि सुधार की प्रगतिशील स्थिति का आकलन किया जा सके और पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपाय, यदि कोई हो, किए जा सकें।

सीआईएल में, दो श्रेणियों में आने वाली खानों के लिए सैटेलाइट डाटा के आधार पर भूमि सुधार की निगरानी की जा रही है:

(क) प्रति वर्ष 5 एमसीएम (कोयला + ओ बी) एमसीएम से अधिक उत्पादन करने वाली खानें। प्रतिवर्ष 5 एमसीएम (कोयला+ओबी) से अधिक के अंतर्गत आने वाली खानों/ क्लस्टर की वार्षिक आधार पर निगरानी की जाती है

(ख) 5 एमसीएम (कोयला + ओबी) एमसीएम प्रति वर्ष से कम उत्पादन करने वाली खानें। 5 एमसीएम (कोयला+ओबी) प्रति वर्ष श्रेणी से कम के अंतर्गत आने वाली खानों/ क्लस्टरों की चरणबद्ध तरीके से तीन वर्षों के अंतराल पर निगरानी की जाती है।

वर्ष 2022–2023 में, कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों के तहत कुल 109 परियोजनाओं की भूमि सुधार निगरानी, जिसमें 76 ओपनकास्ट परियोजनाएं शामिल हैं, जो प्रति वर्ष 5 एमसीएम (कोयला + ओबी) से अधिक उत्पादन करती हैं और 33 ओपनकास्ट परियोजनाएं / क्लस्टर / यूजी खानें जो प्रतिवर्ष 5 एमसीएम (कोयला + ओबी) से कम उत्पादन

करती हैं।), को निगरानी के लिए लिया गया है। सैटेलाइट डाटा का डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग पूरा कर लिया गया है और रिपोर्ट संकलित की जा रही है।

सीएमपीडीआई के पास दो सर्वे ग्रेड ड्रोन हैं जो लिडार, ऑप्टिकल और थर्मल सेंसर से लैस हैं। वर्तमान में इसका उपयोग एसईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल और एमसीएल में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जा रहा है। बारह (12) ड्रोन सेवा प्रदाताओं को सीएमपीडीआई द्वारा गुणात्मक मूल्यांकन के आधार पर सूचीबद्ध किया गया है क्योंकि ड्रोन आधारित नौकरियों की संख्या अधिक है और सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों में फैली हुई है। सीएमपीडीआई इन एजेंसियों की सेवाओं का नियमित आधार पर उपयोग कर रहा है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान निष्पादित कुछ प्रमुख परियोजनाएं इस प्रकार हैं:

- उत्तर प्रदेश राज्य में रेत पुनःपूर्ति अध्ययन,
- झरिया मास्टर प्लान के लिए झरिया कोलफील्ड, बीसीसीएल में अस्थिर स्थलों की टेरेन मैपिंग,
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधिदेश के अनुसार सीसीएल की चार परियोजनाओं में ड्रोन आधारित रियल टाइम फुटेज वीडियोग्राफी
- नवगठित ब्लॉक–डी और ब्लॉक–ई क्षेत्र, झरिया कोलफील्ड्स, बीसीसीएल की टेरेन मैपिंग
- कुजू ओसीपी, सीसीएल में ड्रोन आधारित तापीय सर्वेक्षण
- ओडिशा में नालको, वेदांता और एससीसीएल के लिए मृदा नमी संरक्षण अध्ययन के लिए ड्रोन आधारित सर्वेक्षण
- डीपीडीएच ब्लॉक में डब्ल्यूबीपीडीसीएल (फेज I) के लिए ड्रोन आधारित सर्वेक्षण
- ब्लॉक–सी, झरिया कोलफील्ड, बीसीसीएल के लिए ड्रोन आधारित सर्वेक्षण
- सीआईएल की सहायक कंपनियों के ईसी और एफसी प्रस्तावों की योजना और निगरानी के लिए, डैशबोर्ड सहित एक समर्पित पोर्टल विकसित किया गया है और मौजूदा ईआरपी मॉड्यूल में एकीकृत किया गया है जो निरंतर सुधार के अधीन है।

भूमि सुधार, एनएलसी के लिए उपग्रह निगरानी:

1. **खतरनाक क्षेत्रों में सुरक्षा और निगरानी**– एनएलसीआईएल के पास 259 वर्ग किलोमीटर लीज्ड होल्ड एरिया है और पुराना डंप और वनीकरण क्षेत्र है जिसे मानव जाति की सुरक्षा के लिए निगरानी की आवश्यकता है। एनएलसीआईएल यूएवी और एलआईडीएआर संयोजन के साथ समय–समय पर इस क्षेत्र की नियमित निगरानी करना शुरू कर रहा है।

2. **टाइम–लैप्स फोटोग्राफी**– आरजीबी ड्रोन का उपयोग शुरू किया गया, एनएलसीआईएल खानों और थर्मल की फोटोग्राफी समय–समय पर की जा रही है।

3. **स्टॉकपाइल इन्वेंट्री को मापना** – लिग्नाइट/कोयला स्टॉक मापन के लिए लिडार/आरजीबी आरटीके/पीपीके सक्षम ड्रोन का उपयोग करने के लिए एनएलसीआईएल ने एक प्रायोगिक के रूप में शुरुआत की।

4. **साइट मैपिंग**– खानों और पुराने डंप की साइट मैपिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में नेयवेली तमिलनाडु में खान ᴵᴵ और राजस्थान में बीएलएमपी में क्रमशः मई 2022 और जून 2022 में साइट मैपिंग की गई।

16. सीआईएल के उत्पादकता मानदंडों की समीक्षा– आउटपुट प्रति मैनशिफ्ट (ओएमएस)

(टन में)

वर्ष	आउटपुट प्रति मैनशिफ्ट (ओएमएस)		
	यूजी	ओसी	समग्र
2021-22 (वास्तविक)	0.98	15.23	9.53
2022-23 (अनंतिम) अप्रैल, 22–नवंबर, 22 तक	0.99	15.12	9.62

17. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीपीआर) के संबंध में नीतिगत पहल और सुधार के उपाय

चालू वित्त वर्ष के दौरान, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों ने अपनी सीएसआर नीति के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत

विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं/गतिविधियों को शुरू किया है, जिसे लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के मौजूदा दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है।

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीआईएल और सहायक कंपनियों के लिए सीएसआर बजट और व्यय								
कंपनी	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23 (अनंतिम)	
	सांविधिक प्रावधान	व्यय	सांविधिक प्रावधान	व्यय	सांविधिक प्रावधान	व्यय	सांविधिक प्रावधान	व्यय (अप्रैल–दिसंबर)
ईसीएल	10.03	11.48	8.84	11.56	12.57	13.86	0.00	2.88
बीसीसीएल	6.21	6.01	0.00	6.12	0.00	2.99	0.00	0.39
सीसीएल	42.73	52.89	46.46	56.60	50.25	24.82	46.28	9.48
डब्ल्यूसीएल	10.64	9.59	0.00	5.95	1.08	12.54	8.45	6.51
एसईसीएल	66.53	84.65	79.42	38.33	67.58	69.34	44.69	37.38
एमसीएल	156.50	165.50	168.44	205.34	181.62	251.76	196.16	72.21
एनसीएल	92.27	83.33	118.23	129.93	132.75	123.52	134.61	38.50
सीएमपीडीआईएल	3.01	3.07	4.65	4.66	6.61	6.86	7.30	2.62
सीआईएल	8.28	171.32	8.47	95.36	6.81	77.64	7.10	17.29
कुल	**396.20**	**587.84**	**434.51**	**553.85**	**459.27**	**583.32**	**444.59**	**187.26**

डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, चालू वर्ष के लिए प्राथमिकता विषय 'स्वास्थ्य और पोषण' हैं। इसके अलावा, कौशल विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू की गई/कार्यान्वित की जा रही प्रमुख सीएसआर गतिविधियां/परियोजनाएं निम्नानुसार है:

1. स्वास्थ्य देखभाल और पोषण

(क) ओडिशा के तलचर में महानदी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च (एमआईएमएसआर) के शैक्षणिक/कॉलेज परिसर का निर्माण पूरा हो गया है और अस्पताल परिसर अंतिम चरण में है। परियोजना की कुल लागत 492.62 करोड़ रु. है।

(ख) 103.53 करोड़ रुपये की लागत से झारसुगुडा, ओडिशा में 100 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी कार्डिएक केयर अस्पताल का निर्माण।

(ग) सीआईएल की अनूठी सीएसआर परियोजना 'थैलेसीमिया बाल सेवा योजना' चालू वित्त वर्ष के दौरान 250 लाभार्थियों को ठीक करने की उपलब्धि हासिल कर चुकी है। योजना का दायरा बढ़ाने के लिए मुंबई के दो और अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है।

(घ) 22.07 करोड़ रुपये की लागत से झारखंड के रामगढ़ जिले में सरकारी स्कूलों के 50,000 छात्रों को मध्याह्न भोजन तैयार करने और वितरित करने के लिए केंद्रीकृत रसोई।

(ङ) कोलकाता में 'गामा नाइफ' न्यूरोसर्जरी उपकरण की खरीद के लिए 10 करोड़ रुपये की पार्ट फंडिंग

(च) 5.93 करोड़ की लागत से सिंगरौली (25) एवं सोनभद्र (27) में 52 आंगनवाड़ी केन्द्रों का पुनर्निर्माण एवं उन्नयन।

(छ) 5.04 करोड़ रुपये की लागत से असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर 40 बिस्तरों वाली गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) की स्थापना।

(ज) करोड़ रुपये की लागत से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के डिबुलगंज–अनपारा में 50 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल का नवीनीकरण।

(झ) 2.26 करोड़ रुपये की लागत से गोड्डा, झारखंड के 7

ब्लॉकों में 23 स्वास्थ्य उप–केंद्रों (एचएससी) का स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एचडब्ल्यूसी) में उन्नयन।

(ञ) करोड़ रुपये की लागत से दुमका जिला, झारखंड और पश्चिम बर्धमान जिला, पश्चिम बंगाल में कुल 80 गांवों के लिए मोबाइल मेडिकल वैन (एमएमवी) चलाना।

(ट) 1.28 करोड़ रुपये की लागत से मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 06 महीने से 3 साल के बच्चों में कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए 75 गांवों में ग्रामीण क्रेच के माध्यम से 'फुलवारी' परियोजना की सहायता।

2. कौशल विकास:

सीआईएल और सहायक कंपनियों ने ज्यादातर खनन कमांड क्षेत्रों से इस वर्ष 10,000 व्यक्तियों के कौशल विकास का लक्ष्य लिया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख पहलें लागू की जा रही हैं:

(क) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी) के विभिन्न केंद्रों में प्लास्टिक इंजीनियरिंग से संबंधित ट्रेडों में 2,360 व्यक्तियों को प्रशिक्षण।

(ख) ओडिशा के एमसीएल कमांड जिलों के 450 छात्रों का बहु–कौशल प्रशिक्षण।

(ग) सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण, भारी वाहन चलाने आदि जैसे अच्छे रोजगार/उद्यमिता क्षमता के साथ व्यापार करने वाले 5,770 व्यक्तियों का प्रशिक्षण।

3. शिक्षा और नवाचार

(क) 76.56 करोड़ रुपये की लागत से मध्य प्रदेश के सिंगरौली में खनन प्रौद्योगिकी संस्थान के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।

(ख) 65 करोड़ रुपये की लागत से रांची, झारखंड में 5000 सीटर आधुनिक पुस्तकालय का निर्माण।

(ग) 30.55 करोड़ रुपये की लागत से ओडिशा के 4 जिलों में 'मो स्कूल अभियान' के तहत स्कूलों का परिवर्तन।

(घ) 21.54 करोड़ रुपये की लागत से धारवाड़, कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में 94 कक्षाओं का निर्माण।

(ङ) उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के चापकी में 7.40 करोड़ रुपये की लागत से क्षेत्र के आदिवासी ग्रामीण युवाओं के समग्र विकास को लक्षित करते हुए स्कूल और छात्रावास का विकास।

(च) 3.40 करोड़ रुपये की लागत से झारखंड के गिरिडीह और कोडरमा जिलों के 21 स्कूलों के शौचालय, पेयजल और अन्य बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण।

(छ) 2 करोड़ रुपये की लागत से झारखंड के जामताड़ा जिले में टंडवा, छत्र जिले के 30 सरकारी स्कूलों में 54 स्मार्ट क्लास डिवाइस और ग्रामीण बच्चों को आधुनिक शिक्षण मॉड्यूल की सुविधा के लिए 40 स्मार्ट क्लास डिवाइस प्रदान करना।

(ज) 1.99 करोड़ रुपये की लागत से 1000 आदिवासी/ ग्रामीण और वंचित लड़कियों के छात्रों के लिए जोका, पश्चिम बंगाल में आगामी आवासीय विद्यालय के लिए छात्रावास भवन का निर्माण।

(झ) 1.30 करोड़ रुपये की लागत से एनसीएल–आईआईटीबीएचयू इनक्यूबेशन सेंटर का विकास।

(ञ) 1.31 करोड़ रुपये की लागत से असम में हाल की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए स्कूलों का पुनर्निर्माण।

4. ग्रामीण विकास

(क) 56 करोड़ रुपये की लागत से सिंगरौली, मध्य प्रदेश के चितरंगी ब्लॉक में 10,253 घरों का विद्युतीकरण।

(ख) 31.00 करोड़ रुपये की लागत से सिंगरौली जिला, मध्य प्रदेश और सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश में खानों के आसपास के गांवों को जोड़ने वाली लगभग 40 किलोमीटर सड़कों / पुलों / पुलियों का निर्माण।

(ग) ओडिशा के अंगुल, झारसुगुड़ा, संबलपुर और सुंदरगढ़ जिलों में 20.30 करोड़ रुपये की लागत से व्यापक सामुदायिक विकास कार्यक्रम (सीसीडीपीयूथन) पशुधन विकास, कृषि–बागवानी (डब्ल्यूएडीआई) विकास कार्यक्रम, जल संसाधन विकास, कृषि में सुधार और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से 7,000 परिवारों को लाभान्वित होंगे।

(घ) 8.01 करोड़ रुपये की लागत से रांची जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 6 किलोमीटर सड़कों का सुदृढ़ीकरण।

(ङ) 1.42 करोड़ रुपये की लागत से राजस्थान के कोटा जिले की 2 विभिन्न पंचायत समितियों में 7 सामुदायिक भवनों का निर्माण।

5. पर्यावरण, वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण

(क) पेंच टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में बिखरे ग्रामीणों के एसएचजी के लिए पेंच टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन को चावल, आटा और दाल मिल उपलब्ध कराने के लिए 24.20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता, जो सीएसआर के तहत स्थानीय परिवेश की जरूरतों को पूरा करने के साथ–साथ स्थानीय आजीविका का अतिरिक्त राजस्व पैदा कर सकते हैं। इससे क्षेत्र में मानव पशु संघर्ष भी कम होगा। लाभार्थी 4000 व्यक्ति हैं।

(ख) 2 करोड़ रुपये की लागत से मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, वाराणसी के पास इको–पार्क का विकास।

(ग) कठोर वैज्ञानिक आधार पर अभिनव समाधान खोज कर जैव–विविधता चुनौतियों का समाधान करने में भारतीय वन्यजीव संस्थान को 2 करोड़ रुपये की सहायता।

(घ) 1.13 करोड़ रुपये की लागत से 3.75 लाख लोगों को ऊर्जा साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करना।

6. जलापूर्ति और स्वच्छता

(क) सिंगरौली जिले की 5 तहसीलों में 18 सीटर सार्वजनिक शौचालय परिसरों का निर्माण और 1 अस्पताल तथा सोनभद्र जिले में 8 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण और संचालन। इन पहलों की कुल लागत 2.55 करोड़ रुपये है।

(ख) 2.34 करोड़ रुपये की लागत से मायापुर, पश्चिम बंगाल में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की स्थापना।

(ग) 2.10 करोड़ रुपये की लागत से सात सुलभ शौचालयों (सार्वजनिक शौचालय परिसर) का निर्माण।

7. विकलांगों का कल्याण

(क) 2.84 करोड़ रुपये की लागत से सिंगरौली और सोनभद्र जिले के दिव्यांगों को कृत्रिम सहायता और उपकरण प्रदान करने के लिए सिंगरौली में डीडीआरसी (जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र) को गोद लेना।

(ख) 10.04 करोड़ रुपये की लागत से जिला सिंगरौली में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (दिव्यांगजनों) के लिए विद्यालय सह छात्रावास का निर्माण एवं संचालन।

(ग) 0.31 करोड़ रुपये की लागत से कोलकाता में ब्रेल प्रेस के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता।

8. महिला सशक्तिकरण

(क) 2.50 करोड़ रुपये की लागत से सिंगरौली जिले के 50 सरकारी स्कूलों में सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन, इंसीनरेटर और सेनेटरी नैपकिन की स्थापना।

(ख) झारखंड के दो जिलों में मासिक धर्म स्वच्छता उत्पाद मासिक धर्म कप महिलाओं के लिए जागरूकता पैदा करने और वितरित करने के लिए अभिनव मासिक धर्म स्वच्छता कार्यक्रम की लागत 1.01 करोड़ रुपये है।

(ग) 2.08 करोड़ रुपये की लागत से मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए प्राकृतिक फाइबर विविध ीकृत उत्पाद प्रशिक्षण और विकास केंद्र का निर्माण।

9. खेलों का प्रचार

(क) 8.83 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए सिंगरौली के जयंत में खेल अकादमी का विकास।

(ख) 1.16 करोड़ रुपये की लागत से मंडी जिला, हिमाचल प्रदेश की 38 ग्राम पंचायतों में उपकरण के लिए सहायता।

अन्य उल्लेखनीय गतिविधियाँ

1. संयुक्त रूप से सीआईएल और सीसीएल ने 6 और 7 मई 2022 को रांची में "सीएसआर एंड सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2022" का सफलतापूर्वक आयोजन किया। बारह विचारशील नेताओं ने दर्शकों के साथ अपनी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि साझा की। इस कार्यक्रम में लगभग

250 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिसमें कंपनी के शीर्ष प्रबंधन और वरिष्ठ अधिकारी, सीआईएल भर के सीएसआर अधिकारी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित कॉलेजों के छात्र शामिल थे।

2. सीआईएल ने कोविड–19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से लड़ने के लिए कोल इंडिया के प्रयासों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक कॉफी टेबल बुक "कोल इंडिया विन्स ओवर कोविड" प्रकाशित की। पुस्तक का उद्घाटन माननीय मंत्री (कोयला) द्वारा किया गया था।

पुरस्कार और प्रशंसा

1. सीआईएल की दो सहायक कंपनियों ने 18 अगस्त 2022 को घोषित राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार (2020) जीते:

   क. "राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में योगदान के लिए सीएसआर पुरस्कार" श्रेणी के तहत उप–श्रेणी "कृषि और ग्रामीण विकास" में एमसीएल–विजेता

   ख. एमसीएल – "राष्ट्रीय प्राथमिकता क्षेत्रों में योगदान के लिए सीएसआर पुरस्कार" श्रेणी के तहत उप–श्रेणी "महिला और बाल विकास" में माननीय उल्लेख

   ग. सीसीएल– उप–श्रेणी में विजेता "खेल का प्रचार" श्रेणी के तहत "राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में योगदान के लिए सीएसआर पुरस्कार"

2. सीआईएल की प्रमुख सीएसआर पहल थैलेसीमिया बाल सेवा योजना ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (एआईएमए) द्वारा आयोजित 9वीं बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी समिट कम प्रोजेक्ट एक्सीलेंस प्रतियोगिता में सीपीएसई के बीच उपविजेता रही है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के संबंध में नीतिगत पहलें और सुधार के उपाय: एससीसीएल

1. एससीसीएल बड़े पैमाने पर समुदायों और समाज के लाभ के लिए सीएसआर के तहत विभिन्न विकासात्मक गतिविधियां चला रही है। एससीसीएल स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा को बढ़ावा देने, बेरोजगार युवाओं के बीच प्रशिक्षण कौशल, अनाथ घरों और वृद्धाश्रमों का समर्थन करने, खेल को प्रोत्साहित करने, वृक्षारोपण, ग्रामीण विकास कार्यों जैसे सड़कें, नालियां, निर्माण के क्षेत्रों में परियोजनाओं को मंजूरी दे रही है। सामुदायिक हॉल, स्ट्रीट लाइट आदि प्रदान करना, कोविड और बाढ़ आदि के दौरान आपदा प्रबंधन गतिविधियाँ।

2. वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए, एससीसीएल को कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सीएसआर के तहत 35.71 करोड़ रुपये की राशि खर्च करनी है। आज की तारीख के अनुसार विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के लिए 25.01 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। इस वर्ष भद्राचलम में बाढ़ राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों के लिए 1.67 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। सरकारी स्कूलों/कॉलेजों में ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराना। साथ ही बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर पौध ारोपण कराया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए।

3. हाल ही में भद्राचलम में भयंकर बाढ़ के दौरान, एससीसीएल ने बाढ़ पीड़ितों को भोजन के पैकेट वितरित किए, और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की सफाई की, चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया, भद्राचलम के पास बाढ़ प्रभावित गोदावरी बेसिन गांवों के जल निकासी के लिए सीएसआर के तहत इंजन चालित उच्च निर्वहन पंप गतिविधियों को लिया गया।

4. भद्राचलम में बाढ़ पीड़ितों को भोजन के पैकेटों का वितरण

5. भद्राचलम में बाढ़ पीड़ितों के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया

6. एससीसीएल क्षेत्रों में सेना/पुलिस भर्ती के लिए बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण

7. हर घर तिरंगा – एससीसीएल क्षेत्रों में लोगों को राष्ट्रीय ध्वज का वितरण और इसे फहराना

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) एनएलसी के संबंध में नीतिगत पहलें और सुधार के उपाय:

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) सीएसआर नीति के तहत विभिन्न सतत विकास गतिविधियों और कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन कर रहा है। 01.04.2014 से प्रभावी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार सीएसआर के तहत धन का आवंटन है। ये दिशा–निर्देश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) पर आधारित हैं, जो पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2: खर्च करने के लिए निर्धारित है।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) निधि के तहत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्धारित और उपयोग की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(आंकड़े करोड़ रु. में)

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीआईएल और सहायक कंपनियों के लिए सीएसआर बजट और व्यय								
कंपनी	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
	आवंटित	उपयोग किया	आवंटित	उपयोग किया	आवंटित	उपयोग किया	आवंटित	उपयोग किया (दिसंबर 22 तक अनंतिम)
एनएलसी इंडिया लि. मिटेड	46.78	75.66	46.74	46.74	40.80	40.80	39.65	25.76
एनटीपीएल	5.20	4.16	5.81	2.41	8.09	2.54	7.44	--